संदर्भ सं : आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/एमआईएससी/215/08/2020

Ref. No:IRDAI/NL/CIR/MISC/215/08/2020

दिनांक / Date:20-08-2020

## <u>परिपत्र</u> CIRCULAR

सभी साधारण बीमा कंपनियों के सीईओ/सीएमडी All CEOs/ CMDs of General Insurance Companies

विषय : वाहन के बीमा का नवीकरण कराते समय पीयूसी प्रमाण-पत्र - एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, द्वारा डब्ल्यूपी(सी) सं. 1985 के 13029 में दिये गये निर्देश

Re: PUC certificate at the time of renewal of Insurance of Vehicle — Directions given by Hon'ble Supreme Court of India in WP(C) No.13029 of 1985 in the matter of M.C. Mehta Vs. Union of India

- 1. यह भारतीय सर्वोंच्च न्यायालय द्वारा एम.सी. मेहता बनाम भारतीय संघ व अन्य की रिट याचिका (सिविल) 1985 की सं.13029 में जारी किये गये निर्देश का अनुपालन करने के लिए सभी साधारण बीमा कंपनियों को परामर्श देते हुए प्राधिकरण के परिपत्र सं. आईआरडीए /एनएल/सीआईआर/एमआईएससी/104/07/2018 दिनांकित 06 जुलाई, 2018 के संदर्भ में है। This has reference to the Authority's Circular No. IRDA/NL/CIR/MISC/104/07/2018 dated 06<sup>th</sup> July, 2018 advising all general insurance companies to comply with the direction issued by Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No.13029 of 1985 in M.C. Mehta Vs. Union of India and Others.
- 2. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने दिल्ली (दिल्ली-एनसीआर) की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देश के अनुपालन की स्थिति के संबंध में चिंताएँ व्यक्त की हैं।

Central pollution control board (CPCB) has raised concerns regarding status of compliance of above direction of Hon'ble Supreme Court of India in National Capital Region of Delhi (Delhi – NCR).

3. कृपया यह सुनिश्चित करें कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देश का, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली-एनसीआर) में अनुपालन पर विशेष ध्यान देते हुए सतर्कतापूर्वक पालन किया जाता है।

Please ensure that the above direction of Hon'ble Supreme Court of India is followed scrupulously with special focus on compliance in National Capital Region of Delhi (Delhi – NCR).

कृपया विषय-वस्तु की प्राप्ति और उसको नोट किये जाने की सूचना दें।

Please acknowledge and confirm having noted the contents.

यज्ञप्रिया भरत / Yegnapriya Bharath

मुख्य महाप्रबंधक (गैर-जीवन) / Chief General Manager (NL)